



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

E-mail : ceepdalmora@rediff.com

पत्रांक 2642 / 7 सी०
सेवा में,

दिनांक 5 अगस्त 2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० 19494/2016)

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्र सं० 2291/एफ०पी०/यू०के०/रोड/19494/2016 दिनांक 01.04.2023 एवं आपका ई०डी०एस० दिनांक 12.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु सं० 1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल के०एम०एल० फाईल में अभी भी 3.20 है० ही दर्शित हो रहा है। अतः सी०ए० हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल के०एम०एल० फाईल में 3.85 है० दर्शाते हुये संशोधित के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र पार्ट 1 के एल० सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं तथा के०एम०एल० भी सही कर ली गयी है। इस कार्यालय के पत्र सं० 733/7सी० दिनांक 29 अप्रैल 2023 द्वारा सी०ए० सम्बन्धित प्रपत्र पूर्व में ही आपको प्रेषित कर लिये गये हैं।
2	बिन्दु सं० 3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट- 11 के पैरा-7 पर वन की सीमा से प्रस्तावित स्थल की अनुमानित दूरी 0.00 कि०मी० अंकित की गयी है, जो आतिथि तक संशोधित नहीं की गयी है। अतः प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से दूरी ऑनलाईन यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
3	बिन्दु सं० 4 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में पैरा-5.3 में कोई भी टिप्पणी नहीं दी गयी है। कृपया उक्त के संबंध में भारत सरकार को आख्या प्रेषित की जा सके।	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
4	बिन्दु सं० 5 के क्रम में अवगत कराना है सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण (साईट विजिट) एवं मुआयना किया जाय, ताकि उक्त के संबंध में भारत सरकार को आख्या प्रेषित की जा सके।	यह बिन्दु लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं है।
5	बिन्दु सं० 6 के अनुपालन में प्रस्तावित परियोजना का औचित्य एवं आवश्यकता के संबंध में प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया औचित्य प्रमाण पत्र (जस्टिफिकेशन) में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः संशोधित औचित्य प्रमाण पत्र	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य पार्ट 1 के सैक्शन डी० 1 में अपलोड कर लिया गया है। इस कार्यालय के पत्र सं० 733/7सी० दिनांक 29 अप्रैल 2023 द्वारा प्रपत्र आपको प्रेषित किये गये हैं।

	(जरिस्ट्रिफिकेशन) प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	
6	बिन्दु सं० 9 के अनुपालन में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जियो रैफिरेन्स मानचित्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जियो रैफिरेन्स मानचित्र की मूल प्रति प्रभागीय वनाधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्ताव के पार्ट-1 एवं पार्ट 11 में यथास्थान अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र पार्ट 1 के एल० सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं एवं इस कार्यालय के पत्र सं० 733/7सी० दिनांक 29 अप्रैल 2023 द्वारा सी०ए० सम्बन्धित प्रपत्र पूर्व में ही आपको प्रेषित कर लिये गये है।
7	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में मलवा निस्तारण की गणना 3.00 मीटर के स्थान पर 6.00 मीटर चौड़ाई में करते हुये संशोधित मलवा निस्तारण योजना ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	मलवा निस्तारण की गणना 3.00 मी० चौड़ाई के स्थान पर 6.00 मी० चौड़ाई में कर ली गयी है। जिसमें Annexure-1 प्रपत्र ही बदला जाना है, जो संलग्न कर इस कार्यालय के पत्र सं० 733/7सी० दिनांक 29 अप्रैल 2023 द्वारा आपको प्रेषित कर लिये गये है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,


अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

पत्रांक /7सी० तददिनांकित
प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।